

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-पिथौरागढ़।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन विभाग,
पिथौरागढ़।

पत्रांक:- 906 / ग्रा0नि0वि0 / 2016-17 / दिनांक 04.10.2016।

विषय:- गोगिना सल्ला मोटर मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.77 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को प्रत्यावर्तन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 498(1)/X-4. 16/1(154)/2016/दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/17778/2016 में सभी आपत्तियों का बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 665 दिनांक 11-8-2016 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी थी जोकि पुनः निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:-

1. प्रस्ताव के फार्म-ए के भाग-1-बी-2.4 में प्रस्ताव में ऑनलाइन मक डिस्पोजल का कम्पोनेन्ट वाइज ब्रेकअप कर पुनः अपलोड किया जा रहा है।
2. मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के समस्त बिन्दु सिविल सोयम एवं वन पंचायत के अन्तर्गत पड़ते हैं। चूँकि यह प्रस्ताव 7 मी0 की चौड़ाई में गठित किया गया है तथा समस्त मक डिस्पोजल के बिन्दु इस प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि की चौड़ाई के अन्तर्गत ही आते हैं। तथा मक डिस्पोजल हेतु आवश्यक क्षेत्रफल निर्माणाधीन सड़क के प्रस्तावित क्षेत्रफल के अन्तर्गत ही पड़ता है जिसका क्षेत्रफल प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। अतः अनापत्ति से संबंधित प्रपत्र (FRA) पूर्व में ही अपलोड किये गये हैं।
3. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारी की पठनीय मोहर व हस्ताक्षर कर NOC को पुनः अपलोड किया जा रहा है।
4. प्रस्ताव के फॉर्म ए के भाग-1 (X) में वन भूमि हस्तांतरण पूर्व में भूलवश एक वर्ष अंकित हो गया था जिसको सुधार कर पुनः अपलोड किया जा रहा है।
5. प्रारूप 3 भाग 2 के प्रपत्र को सुधार कर पुनः अपलोड किया जा रहा है।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-पिथौरागढ़।